

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 384] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 1970/अश्विन 30, 1892
No. 384] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 1970/ASVINA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 22nd October 1970

S.O. 3489.—In pursuance of sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notify the following for the purposes of the said sub-clause:—

- (i) any corporation established by a Central, State or Provincial Act;
- (ii) any company in which all the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a Corporation owned by that Bank; and
- (iii) any undertaking or body, including a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), financed wholly by the Government.

[No. 170.(F. No. 12/164/68-ITCC/ITJ).]

K. LALL, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1970

एस० नो० 3489.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194क की उप-धारा (3) के खण्ड (iii) के उप-खण्ड ब के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिसूचित करती है :—

- (i) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम;
- (ii) किसी कम्पनी जिसमें सभी शेयर, (चाहे एकल रूप से या इकट्ठे) सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या उम बैंक के स्वामित्व वाले निगम द्वारा धृत हैं; और
- (iii) सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित कोई उपक्रम या निकाय जिसमें सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी सम्मिलित है।

[सं० 170 (एफ० सं० 12/164/68-आई० टी० सी०/आई टी जे).]

एस० के० लाल, उप सचिव।